राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3), शासन सचिवालय, जयपुर
(Phone & Fax: 0141-2227956, E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांक : एफ 40(88)ग्रावि / नरेगा / गौरव पथ / पार्ट–2 / 2017 / Eo-124147 जयपुर, दिनांक : 27 JAN 2017

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं
जिला कलक्टर, समस्त।

विषयः– सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित किये जा रहे गौरव पथ के दोनों ओर नाली निर्माण का कार्य महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत करवाने बाबत।

प्रसंगः– समसंख्यक पत्र दि.14.08.2015 एवं माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा जिला कलक्टर कान्फ्रेन्स दिनांक 24–27 नवम्बर, 2016 को दिये गये निर्देश।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा जिला कलक्टर कान्फ्रेन्स दिनांक 24–27 नवम्बर, 2016 में निर्देश दिये गये है कि ग्रामीण गौरव पथ कार्यों को महात्मा गांधी नरेगा की राशि से डॅवटेल किया जावे। प्रासंगिक पत्र द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाये जा रहे गौरव पथ के दोनों और नाली निर्माण का कार्य महात्मा गांधी नरेगा से अथवा अन्य योजनाओं से कन्वर्जेन्स कर नियमानुसार स्वीकृतियाँ जारी करवाने हेतु निर्देश दिये गये है।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्राम में पक्की आन्तरिक सड़कें या गलियाँ एवं उन पर नालियों का निर्माण अनुमत है। भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 24.04.2012 (प्रति संलग्न) द्वारा योजनान्तर्गत गांवों की आन्तरिक सड़कों की चौड़ाई अधिकतम 3.00 मीटर रखे जाने के निर्देश हैं, इनकी पालना में विभागीय पत्र दिनांक 04.05.2012 (प्रति संलग्न) द्वारा निर्देश जारी किये हुए है। योजनान्तर्गत 60:40 श्रम सामग्री का अनुपात जिला स्तर पर संधारित किया जाना होता है।

अतः अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा से अथवा अन्य योजनाओं से कन्वर्जेन्स कर नियमानुसार स्वीकृतियां जारी कर उक्त कार्य सम्पादित कराए जा सकते है।

अतः तद्नुसार कार्यवाही सम्पादित करावे।

भवदीय

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

25.1.17

(देबाशीष पृष्टी)
आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
6. मुख्य अभियंता, पथ / स्पेशल स्कीम, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जेकब रोड़, जयपुर।
7. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
8. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त।

परि. निदे. एवं पदेन संयुक्त सचिव, ईजीएस

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक एफ 40(18) ग्रावि / नरेगा / तक.प्रक. / पार्ट–II / 2010 जयपुर, दिनांकः 4 MAY 2012

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषय : महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत गांवों की आन्तरिक सड़कों के निर्माण बाबत।

प्रसंग : विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 24.01.2012 एवं 02.02.2012 एवं भारत सरकार का पत्रांक जे–11060 / 1 / 2011 – एमजीनरेगा – 1 दिनांक 24.04.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र दिनांक 24.01.2012 द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रिकास्ट इन्टरलोकिंग सीमेन्ट कंक्रीट ब्लॉक / टाईल्स के माध्यम से बनाई जाने वाली गांवों की आन्तरिक सड़कों के निर्माण हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश भारत सरकार के पत्र दिनांक 18.10.2011 एवं 06.01.2012 के क्रम में जारी किये गये थे। विभागीय पत्र दिनांक 02.02.2012 द्वारा उक्त आन्तरिक सड़कों की अधिकतम चौड़ाई 3.75 मीटर के स्थान पर अधिकतम चौड़ाई 2.50 मीटर रखे जाने के निर्देश दिये गये।

विभाग द्वारा गांवों की आन्तरिक सड़कों की चौडाई बढाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया गया। अब भारत सरकार ने पत्र दिनांक 24.04.2012 (प्रति संलग्न) द्वारा परिपत्र क्रमांक जे– 11060 / 1 / 2011–एमजीनरेगा–1 दिनांक 18.10.2011 के पैरा सं. (viii) (C) को निम्नानुसार संशोधित किया है :–

"The width of such internal roads taken up under MGNREGA should not be more than 3.0 meters." All other provisions of the circular dated 18th October, 2011 and the amendment communicated vide circular dated 6th January, 2012 will remain the same.

अतः उपरोक्तानुसार विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 02.02.2012 में संशोधन कर निर्देश दिये जाते है कि गांवों की आन्तरिक सड़कों की चौड़ाई 2.50 मीटर के स्थान पर अब अधिकतम 3.00 मीटर तक रखी जा सकती है। विभागीय पत्र दिनांक 24.01.2012 द्वारा जारी अन्य निर्देश यथावत रहेंगे। कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अभय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

PTO

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस।
4. अति. आयुक्त (प्रथम / द्वितीय), ईजीएस, जयपुर।
5. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक (प्रथम / द्वितीय), ईजीएस, जिला परिषद् समस्त को प्रेषित कर लेख है कि इस परिपत्र की प्रति श्रीमान् जिला प्रमुख, सभी प्रधानगण, सभी विकास अधिकारी, एवं सभी सरपंचगण को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ।
6. मुख्य लेखाधिकारी, ईजीएस, जयपुर।
7. अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिषद, समस्त।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस

No. J-11060/1/2011-MGNREGA-1
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
(MGNREGA Division-VI)

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated 24th April, 2012

CIRCULAR

***

Subject: Width of Village internal roads under MGNREGA.

Ref: Circular No.J-11060/1/2011-MGNREGA-1 dated 18th October, 2011.

Vide circular referred above, the width of village internal roads which could be taken up under MGNREGA was restricted to 2.5 meters. Request letters have been received in the Ministry to relax this condition. After careful consideration of the matter, it has been decided that road width up to 3.00 meters only may be constructed under MGNREGA using stone/ brick or cement concrete or cement concrete interlocking blocks

The following amendment is, therefore, being issued to the circular referred to above.

Para (viii) (c) of the circular referred to above may be read as under:

"The width of such internal roads taken up under MGNREGA should not be more than 3.0 meters".

All other provisions of the circular dated 18th October, 2011 and the amendment communicated vide circular dated 6th January, 2012 will remain the same.

(Vijay Aind)
Under Secretary to the Government of India

To

Principal Secretary/ Secretary of all State Rural Development Department.